न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 395 / 2026

अनवान : –

1. अब्दुल सलाम पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अब्दुल हकीम पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. मनशा खान पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. श्योकत अली पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. हाकम अली पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अनवर अली पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अब्दुलकरीम पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. अब्दुलगनी पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर ।
4. रियासत अली पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर ।
5. सादक अली पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर. ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20730–2073 के खाता संख्या 36 / 36 के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 9.9940 है0 भूमि वादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20730–2073 के खाता संख्या 7 / 163 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 7.3740 है0 भूमि प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन के बाद प0 नं0 310 / 422 (54) के किला नं. 6 / 1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6 / 2 की 0.2280 है0 7 की 0.2530 है0 भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज है एवं प0 नं0 310 / 421 (53) किला नं. 11 की 0.2530 है0 व 20 की 0.2530 है0 भूमि जो कि वादीगण के नाम दर्ज है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है इस प्रकार वादीगण के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि पर वादीगण काबिज है

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता में दर्ज है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन के बाद प0 नं0 310/422 (54) के किला नं. 6/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.2280 है0 7 की 0.2530 है0 भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज है एवं प0 नं0 310/421 (53) किला नं. 11 की 0.2530 है0 व 20 की 0.2530 है0 भूमि जो कि वादीगण के नाम दर्ज है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है इस प्रकार वादीगण के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि पर वादीगण काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी स0 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के जमाबंदी सम्वत 20730–2073 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 9.9940 है0 भूमि वादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20730–2073 के खाता संख्या 7/163 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 7.3740 है0 भूमि प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता में दर्ज है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन के बाद प0 नं0 310/422 (54) के किला नं. 6/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.2280 है0 7 की 0.2530 है0 भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज है एवं प0 नं0 310/421 (53) किला नं. 11 की 0.2530 है0 व 20 की 0.2530 है0 भूमि जो कि वादीगण के नाम दर्ज है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है इस प्रकार वादीगण के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि पर वादीगण काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 7/63 के प0 नं0 310/422 (54) के किला नं. 6/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.2280 है0 7 की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादीगण की बजाये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 36/36 के प0 नं0 310/421 (53) किला नं. 11 की 0.2530 है0 व 20 की 0.2530 है0 भूमि वादीगण की बजाये प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 395 / 2026

अनवान : –

1. अब्दुल सलाम पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अब्दुल हकीम पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. मनशा खान पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. श्योकत अली पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. हाकम अली पुत्र खुशी मोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अनवर अली पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अब्दुलकरीम पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. अब्दुलगनी पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर ।
4. रियासत अली पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर ।
5. सादक अली पुत्र शाहमोहम्मद जाति अराई निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 395 सन 2026 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 7 / 63 के प0 नं0 310 / 422 (54) के किला नं. 6 / 1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6 / 2 की 0.2280 है0 7 की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादीगण की बजाये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 36 / 36 के प0 नं0 310 / 421 (53) किला नं. 11 की 0.2530 है0 व 20 की 0.2530 है0 भूमि वादीगण की बजाये प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर